(197)

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 26, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 31 जनवरी, 2006

No. 26, Port Blair, Tuesday, January 31, 2006

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 31 जनवरी, 2006

सं. 24/2006/फा. सं. 1-467/2001-टी. डब्ल्यू..— संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित और दिनांक 26 अगस्त, 2005 को भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, धारा 1 में प्रकाशित निम्नलिखित संशोधन विनियम को आम जनता की सूचना के लिए पुनः प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश

ह./-

(जी. सी. जोशी)

विशेष सचिव (जनजाति कल्याण)

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजातियों का संरक्षण) संशोधन विनियम, 2005

2005 का सं. 3

भारत के गणतंत्र के छप्पनवे वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित प्रख्यापितः-

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजातियों का संरक्षण) विनियम,1956 का संशोधन विनियम ।

संविधान के अनुच्छेद 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उनके द्वारा बनाए निम्नलिखित विनियम को प्रख्यापित करते है ।

संक्षिप्त शीर्षक तथा आरम्भ

1. (1) इस विनियम को अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजातियों का संरक्षण) संशोधन विनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।

(2) यह उस दिन प्रवृत्त होगा जो उप राज्यपाल सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेंगे ।

धारा 2 का संशोधन

1956 का पंजीकरण सं.3

2. अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजातियों का संरक्षण) विनियम,1956 (जिसे इसके पश्चात मूल विनियम कहा जाएगा) की धारा 2 के खण्ड (ख) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

(ख) ''प्रशासक'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान की अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित प्रदेश का प्रशासक ;